प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 27.02.24

क्राईम ब्रॉन्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा 02 शातिर / वाँछित अपराधी बाद पुलिस मुठभेड गिरफ्तार तथा थाना कविनगर क्षेत्र मे इन्दिरापुरम के व्यापारी के साथ हुई लूट के रू0 12,00,000/- नगद, एक स्विफ्ट कार, तथा नाजायज असलहे व कारतूस बरामद

दिनाँक-26/02/24 को क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा 02 शातिर अभियुक्तो जोगेन्द्र उर्फ मुकेश उर्फ मुन्ना उर्फ लम्बू व शुभम उर्फ पवन उर्फ कटार को महाराणा प्रताप रोड रेलवे लाईन के पास राजनगर थाना क्षेत्र कविनगर में बाद पुलिस मुठभेड गिरफ्तार करने में महत्तवपूर्ण सफलता अर्जित की गयी है उपरोक्त वाँछित अभियुक्तों की स्विफ्ट कार को मुखबिर की सूचना पर बैरियर लगाकर रोकने का प्रयास किया गया तो अभियुक्तगण द्वारा स्वॉट टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किये गये जिसमे आरक्षी मोहित शर्मा बाजू मे गोली लगने से घायल हो गये आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा किये गये फायर से दोनो बदमाश पैर मे गोली लगने से घायल हो गये। घायल आरक्षी व गिरफ्तार घायल अभियुक्तो को उपचार हेतु सरकारी अस्पताल भेजा गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 अदद पिस्टल .32 बोर मय कारसूस व 02 तमन्चे 315 बोर मय कारतूस तथा थाना कविनगर क्षेत्र में दिनाँक-05/12/23 को हुई डकैती के 12 लाख रूपये नगद तथा उसी डकैती के रूपयो से खरीदी गयी स्विफ्ट कार बरामद हुई है।

अवगत कराना है कि दिनांकः 05/12/2023 को व्यापारी श्री निशान्त सरवैया निवासी इन्दिरापुरम जो गुरूग्राम से कलैक्शन करके औद्योगिक क्षेत्र मे कलैक्शन के लिए आया था कि तभी अज्ञात अपराधियों द्वारा औद्योगिक क्षेत्र थाना कविनगर क्षेत्र में निशान्त सरवैया को उनकी कार सहित असलहों के बल पर बन्धक बनाकर ले गये थे और रास्ते में मारपीट कर रूपयो के बैग को लूट कर उतार दिया था इस सनसनी खेज घटना के आनावरण हेतु स्वॉट टीम क्राईम ब्रान्च गाजियाबाद को लगाया गया था। उक्त घटना का स्वॉट टीम द्वारा सफल अनावरण करते हुए घटना मे संलिप्त 08 अपराधियों (नितिन शर्मा, सौरभ सिरोही, चन्द्रवीर उर्फ कलुवा, सुनील, सुखवीर सिह भाटी, दीपक पाँचाल उर्फ भीम, नकुल व सौरभ शर्मा) को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट के लगभग 92 लाख 50 हजार रूपये पूर्व में बरामद किये जा चुके है। अब तक उक्त डकैती की घटना के 1 करोड 04 लाख 50 हजार रूपये बरामद हो चुके है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर अभियुक्त जोगेन्द्र उर्फ मुकेश उर्फ मुन्ना उर्फ लम्बू ने बताया कि उसने 5वी तक पढाई की थी पहले छोटी गाडियों की ड्राईवरी का काम करता था उसके बाद बुलन्दशहर में मोबाइल टॉवर का काम सीखा था इसी बीच मेरी लडाई हो गयी और मै जेल चला गया वहाँ मेरी दोस्ती गैगस्टर सुरेन्द्र सुलैला बुलन्दशहर से हो गयी उसके बाद मै उसके साथ कई घटनाओं मे शामिल रहा । जेल मे ही मैं सुनील काठीखेडा हापुड के सम्पर्क मे आया और उसके साथ भी कई अपराध मे लिप्त रहा । अभियुक्त शुभम उर्फ पवन उर्फ कटार ने बताया कि मैने पोलोटैक्निक कर रखी है और मैं मोबाइल टॉवर मे काम करता था। जोगेन्द्र उर्फ मुन्ना मेरे ही गाँव का है हमारी काफी अच्छी दोस्ती है हमने साथ मे मिलकर कई लूट आदि की है। पूछताछ पर अभियुक्तो ने बताया कि सुनील ने उनको बताया था कि उसके दोस्त नितिन व सौरभ सिरोही ने बताया है कि गाजियाबाद में एक व्यापारी जो रूपयों का कलैक्शन करके आता है और सौरभ सिरोही भी अपने मालिक का पैसा उसको देने जाता है सौरभ सिरोही की सूचना पर उसको लूटना है, इस पर हम लोगो ने नितिन के घर ग्राम रोजा जलालपुर मे घटना करने की योजना बनायी। दिनाँक-05/12/23 को शाम के समय जैसे ही सौरभ सिरोही कलैक्शन के रूपये कोतवाली क्षेत्र से लेकर चला तो उसने हम लोगो को मैसेज कर दिया हम लोग घटना स्थल पर पहले से मौजूद थे और जैसे ही व्यापारी की गाडी आयी और सौरभ उस गाडी मे बैठा हम लोगो ने गाडी का दरवाजा खोल कर पिस्टल दिखाकर दोनो को अपने कब्जे मे

कर बन्धक बनाकर गाडी लेकर चले गये थोडी दूर चलकर सौरव सिरोही को उतार दिया और आगे जाकर व्यापारी को भी मारपीट कर उतार दिया और सारे रूपये लूट कर ले गये थे जिसका बाद मे हम लोगो ने बटवारा कर लिया था बरामद 12 लाख रूपये उसी डकैती की घटना के है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1.जोगेन्द्र उर्फ मुकेश उर्फ मुन्ना उर्फ लम्बू पुत्र स्व0 मदन लाल निवासी ग्राम छापर थाना इन्द्री जनपद-करनाल हरियाणा उम्र-34 वर्ष

2.शुभम उर्फ पवन उर्फ कटार पुत्र स्व0 पूरणचन्द्र निवासी ग्राम छापर थाना इन्द्री जनपद-करनाल हरियाणा उम्र-27 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

1.डकैती की घटना मे हिस्से मे आये 12 लाख रूपये।

2.डकैती की घटना के रूपयो से खरीदी गयी स्विफ्ट कार रंग सफेद बिना नम्बर प्लेट।

3.अवैध पिस्टल .32 बोर - 01

4.अवैध कारतूस .32 बोर- 10 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस

5.अवैध तमन्चे 315 बोर – 02

6.अवैध कारतूस 315 बोर-07 जिन्दा व 01 खोखा

7.वादी मुकदमा का पैन कार्ड, एटीएम कार्ड व वादी मुकदमा की पत्नी का आधार कार्ड

आपराधिक इतिहासः-

1.अभियुक्त जोगेन्द्र के विरूद्ध दिल्ली मे 01, हरियाणा 02, बुलन्दशहर मे 08, हापुड मे 01, गौतमबुद्धनगर 01 व गाजियाबाद मे 02 कुल 15 अभियोग पंजीकृ है।

2. अभियुक्त शुभम के विरूद्ध दिल्ली मे 01, हरियाणा मे 01 व गाजियाबाद मे 02 अभियोग कुल 04 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम-

क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना का अनावरण 01 वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 13.02.2024 को वादी अमित शर्मा S/O राम किशन शर्मा म0न0- 408C रेलवे कलोनी धोबी घाट गाजियाबाद ने अपनी माता की हत्या किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा करने के सम्बन्ध मे सूचना दी। इस सम्बन्ध मे थाना कोतवाली नगर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया।

घटना के अनावरण हेतु टीमो का गठन किया गया। सभी टीमो के द्वारा अथक प्रयास , इलेक्ट्रानिक सर्विलास व मैनुअल इनफॉरमेशन, लोकल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर आज दिनांक 27.02.2024 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा साई मन्दिर उपवन से हत्या का अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त ईश्वरी प्रकाश को मय आलाकत्ल चाकू , 1 जोडी पाजेब सफेद धातु , 01 पैन कार्ड मृतका शीला, 01 गैस कार्ड मृतका शीला, 01 बैंक पास बुक पीएनबी बैक मृतका शीला, तीन हजार रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया तथा अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मै दिनांक 06.02.24 को मै एक लडके सचिन शर्मा से मिला जो अपने माँ के साथ शिव मन्दिर पर रहता था मै सचिन शर्मा की मां जो मंदिर मे अकेली रहती है मै उसके पास 04-05 दिन तक पास ही रहा मैने श्रीमती शीला देवी को उसके लडके सचिन शर्मा की शादी कराने की झूठी बात बताकर मैने शीला देवी व सचिन शर्मा को अपनी बातो मे ले लिया था। मैने इन दोनो को अपना गलत नाम शिवम बताया था जिससे मेरी पहचान न हो सके तथा दिनांक 12/13.02.24 की रात्रि मे जब श्रीमती शीला देवी अकेली थी तो धीरे से दान पात्र मे से रूपये निकाल रहा था तभी श्रीमती शीला देवी ने देख लिया और आग बबूला हो गयी और हाथापाई करने लगी तो मैने पास मे ही रखे सब्जी काटने के चाकू को उठाकर शीला देवी पर कई वार गले व शरीर पर किये जिससे शीला देवी वही पडे तख्त पर बेहोश

होकर गिर गयी थी और मै दान पात्र मे रखे 10 हजार रूपये दान पात्र के पास मे ही रखी एक जोडी पाजेब सफेद धातु और एक सफेद पन्नी मे रखे कुछ कागजात रूपये समझकर लेकर भाग गया था और चाकू को मैने एक सफेद पन्नी मे लपेटकर मंदिर के पीछे ही झाडियो मे छिपा दिया था। जिससे कोई मुझे देख न सके मेरी एक पैन्ट जींस वही रह गयी थी क्योकि उस पर खून लग गया था जिसे मै छोडकर भाग गया था।

नाम पता अभियुक्त-

ईश्वरी प्रसाद पुत्र टीकाराम निवासी पैगानगरी थाना मीरगंज जनपद बरेली उम्र 28 वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद मे 01 अभियोग मारपीट का पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण-

1- आलाकत्ल 01 चाकू
2- 01 जोडी पाजेब दो अदद सफेद धातु
3- 01 पैन कार्ड शीला
4- 01 गैस कार्ड शीला
5- 01 बैंक पास बुक पीएनबी बैक शीला
6- तीन हजार रुपये

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम